

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीशों के समक्ष विचाराधीन वादों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है-

क्र.सं.	जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता	अपर जिला न्यायाधीश, कुचामन सिटी	कुचामन सिटी
2.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता	अपर जिला न्यायाधीश, लाडनू	लाडनू
3.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक	अपर जिला न्यायाधीश, निवाई	निवाई
4.	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम	अपर जिला न्यायाधीश, बस्सी	बस्सी

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश 1950 की धारा 10(3) एवं 7(2) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./11/09/21/ 1423

Date: 14.7.2021

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. The Concerned District & Sessions Judges.
3. The Concerned Courts.
4. The Concerned Chief Judicial Magistrates.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website), Rajasthan High Court, Jodhpur.

REGISTRAR (RULES)